न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)

मि.न. 25/2021 दिनांक 5.4..2021

सरकार बनाम लालचन्द वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सांगटेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम बींजाहेड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 536/0.40 व 537/0.58 है0 किस्म बारानी पर भूमि पर लालचन्द, मूलचन्द, ताराचन्द, रोहिताश, रामकरण पुत्रान सुरजा राम जाति गुर्जर निवासी बींजाहेड़ा ने सरसों व गेंहू फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित आये परन्तु कोई जबाब , दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायलान का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायलान लालचन्द, मूलचन्द, तारचन्द, रोहिताश, रामकरण पुत्रान सुरजा राम जाति गुर्जर निवासी बींजाहेड़ा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम बींजाहेड़ा के ख0 न0 536/0.40 व 537/0.58है0 किस्म बारानी भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई फसल सरसों व गेहूं को निलाम क़िया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी 19.60रू. का पचास गुणा 980 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली फसल निलामी, आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

05.04.2021

वर्ष 2021-22 .... के पा० म० ...
पृष्ठ संख्या 79. पर ...
दर्ज कायम किये गये ।

1/7/21
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली